## RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

## NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR THE UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY, PRAYAGRAJ (U.P.)

Advt. No. E-8924 /2023

Dated: December 28, 2023

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj (U.P.), established under the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act, 1999 (Act No. 10 of 1999) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of First Statutes, 2002 of Section-3.02 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 (three) years from the date on which he/she enters upon his/her office. Other conditions will be as per the Act and the Statutes of the University.

As the Vice-Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 30 January, 2024.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNOR, UTTAR PRADESH. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8924/2023

दिनांक : दिसम्बर 28, 2023

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 10, 1999) के अन्तर्गत रथापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2002 के परिनियम 03.02 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अन्य शर्ते विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमानुसार होगी।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

लिए इच्छ्क अभ्यर्थी राज भवन "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्घारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सैचिव,श

उत्तर प्रदेश।